न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) निगरानी/एल.आर./4346/2003/अलवर

1— श्रीमती धन्नी पुत्री छोटू पत्नि मंगल्या
2— श्रीमती नाथी पुत्री छोटू बेवा झाझूराम (मृतक) जरिये वारिसान :—
2/1. केसरी देवी पुत्री)
2/2. गोठी देवी पुत्री)
2/3. विमलादेवी पुत्री) झाझूराम
2/4. श्रवण पुत्र)
2/5. रामकरण पुत्र)
2/6. रामेश्वर पुत्र)
2/7. बाबूलाल पुत्र)
2/8. मदनलाल पुत्र)
समस्त जाति गुर्जर निवासी गाम मालूताना तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— श्रीमती ग्यारसी पत्नि रामनाथ (मृतक)
(नाम तर्क आदेश दि0 25—9—18)
2— सुरजो पुत्री रामनाथ पत्नि रमेशचन्द्र
3— श्रीमती भगवती पुत्री रामनाथ पत्नि रामनिवास
4— श्रीमती माना पुत्री रामनाथ पत्नि जयराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठेकला की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

(2) निगरानी/एल.आर./3980/2014/अलवर

1— श्रीमती सुरजी पुत्री रामनाथ पत्नि रमेशचन्द्र
2— श्रीमती भगवती पुत्री रामनाथ पत्नि रामनिवास
3— श्रीमती माना पुत्री रामनाथ पत्नि जयराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी बीसा का वास, तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी ठेकला की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
4— घनश्याम पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश जाति गुर्जर निवासी हरिसिंह का जोहड़ तन नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— श्रीमती धन्नी पुत्री छोटू पत्नि भेबला जाति गुर्जर
2— श्रीमती नाथी पुत्री छोटू बेवा झाझूराम (मृतक) जरिये वारिसान :—
2/1. केसरी देवी पुत्री)

2/2. गोठी देवी पुत्री)
2/3. विमलादेवी पुत्री) झाझूराम
2/4. श्रवण पुत्र)
2/5. रामकरण पुत्र)
2/6. रामेश्वर पुत्र)
2/7. बाबूलाल पुत्र)
2/8. मदनलाल पुत्र)
समस्त जाति गुर्जर निवासी गाम मालूताना तहसील थानागाजी जिला अलवर।

3— ग्राम पंचायत घुडियावास पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर।

4— तहसीलदार, थानागाजी भूमिधारी जिला अलवर।

............अप्रार्थीगण

(3) <u>अपील/एल.आर./2910/2015/अलवर</u>

1— श्रीमती सुरजी पुत्री रामनाथ पत्नि रमेशचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बीसा का वास, तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी ठेकला की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

............अपीलार्थी

बनाम

1— श्रीमती धन्नी पुत्री छोटू पत्नि भेबला जाति गुर्जर
2— श्रीमती नाथी पुत्री छोटू बेवा झाझूराम (मृतक) जरिये वारिसान :—
2/1. केसरी देवी पुत्री)
2/2. गोठी देवी पुत्री)
2/3. विमलादेवी पुत्री) झाझूराम
2/4. श्रवण पुत्र)
2/5. रामकरण पुत्र)
2/6. रामेश्वर)
2/7. बाबूलाल)
2/8. मदनलाल)
समस्त जाति गुर्जर निवासी गाम मालूताना तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.......असल प्रत्यर्थीगण

3— तहसीलदार, थानागाजी भूमिधारी जिला अलवर।
4— श्रीमती भगवती पुत्री रामनाथ पत्नि रामनिवास
5— श्रीमती माना पुत्री रामनाथ पत्नि जयराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी बीसा का वास, तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी ठेकला की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

6— घनश्याम पुत्र रामेश्वर उर्फ रमेश जाति गुर्जर निवासी हरिसिंह का जोहड़ तन नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.......तरतीबी प्रत्यर्थी

(1) निगरानी/एल.आर./4346/2003/अलवर
(2) निगरानी/एल.आर./3980/2014/अलवर
(3) अपील/एल.आर./2910/2015/अलवर

एकल–पीठ
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :–
निग0सं0 4346/2003 :–
श्री अयूब खान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
निग0सं0 3980/2014 :–
श्री जगदम्बाप्रसाद माथुर, प्रार्थी।
श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी।
अपील संख्या 2910/2015 :–
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

———

निर्णय

दिनांकः– 05.11.2019

1– निगरानी संख्या 4346/2003 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 118/2001 में पारित निर्णय दिनांक 26–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी संख्या 3980/2014 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 755/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10–02–2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

3– अपील संख्या 2910/2015 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 749/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18–03–2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

4– तीनों प्रकरणों में पक्षकार, विवादित बिन्दु समान व एक दूसरे से जुडे हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ऐकीकृत बहस के दृष्टिगत व पुनरावृत्ति ना हो इसलिये इन तीनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावे।

5— निगरानी संख्या 4346 / 2003 के प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बीसा का बास का नामांतरकरण संख्या 262 खातेदार रामनाथ पुत्र छोटू की विरासत का बहक मु0 ग्यारसी बेवा रामनाथ, सुरजी, भगवती, माना पुत्रियान रामनाथ के नाम दर्ज किया गया जिसे नायब तहसीलदार, थानागाजी ने दिनांक 12—6—2001 को स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर श्रीमती धन्नी वगैरह ने प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) अलवर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 23—11—2001 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार, थानागाजी के आदेश दिनांक 12—6—2001 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर श्रीमती ग्यारसा वगैरह ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26—8—2003 द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) अलवर का आदेश दिनांक 23—11—2001 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 26—8—2003 से असंतुष्ट होकर श्रीमती धन्नी वगैरह ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

6— विद्वान अधिवक्ता श्रीमती धन्नी वगैरह ने निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोराहते हुए बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व अपील बाबत नामांतकररण संख्या 162 उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी के समक्ष पेश की गयी थी जिसमें स्थगन आदेश जारी किया गया था जो आगे भी बराबर बढ़ता रहा है तथा उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष जो वाद पेश किया गया उसमें भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसमें भी आगे तारीख बढ़ती गई है। वर्तमान प्रकरण में संबंधित न्यायालयों का स्थगन आदेश होते हुए भी तहसीलदार द्वारा विवादित नामांतरकरण तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल की है। तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया जाना कि आगे कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ इसलिए नामांतरकरण तस्दीक किया जाना न्यायोचित नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि तहसीलदार स्वयं इस प्रकरण में पक्षकार हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी थी कि वे इस तथ्य की जानकारी करते कि स्थगन आदेश बढ़ा अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण मृतक छोटू के वारिसान नहीं हैं, प्रार्थीगण ही छोटू के वारिसान हैं। रामनाथ द्वारा अपने आपको छोटू का वारिस बताकर नामांतरकरण संख्या 162 अपने नाम तस्दीक करवाया है, जो प्रथमदृष्टया ही अवैध है। अतः

निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–8–2003 निरस्त किया जावे तथा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–11–2001 यथावत रखा जावे।

7– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपने आपको छोटू की पुत्रियां बताकर विचारण न्यायालय में चुनौती दी है जिस पर नामांतरकरण निरस्त किया गया है जबकि अप्रार्थीगण ही मृतक रामनाथ की वारिस हैं एवं रामनाथ की विरासत से प्रार्थीगण का कोई लेनादेना नहीं है। विचारण न्ययालय ने दावा विचाराधीन रहते हुए स्थगन होने के कारण नामांतरकरण को निरस्त किया है जबकि नामांतरकरण दर्ज करने पर कोई स्थगन नहीं था न ही यह स्थगन बढ़ाया जा सकता था। प्रार्थीगण ने 40 वर्ष पश्चात् नामांतरकरण को चुनौती दी है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 26–8–2003 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि यदि हाल प्रार्थीगण (रेस्पो0) अपने वाद में सफल रहते हैं तो वाद के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकती है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं पाया जाता है, जो कि उचित आदेश है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26–8–2003 की पुष्टि की जावे।

8– निगरानी संख्या 3980 / 2014 में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत विजयपुरा तहसील थानागाजी द्वारा नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 के विरूद्ध अपील असल अप्रार्थी मु0 धन्नी व मु0 नाथी द्वारा उपजिला कलक्टर, अलवर के न्यायालय में पेश की साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–11–04 द्वारा नामांतरकरण संख्या 162 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक छोटा पुत्र चुन्ना के वारिसान की विस्तृत जांच कर नामांतरकरण का पुनः निस्तारण करें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर श्रीमती ग्यारसा वगै0 द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–02–2014 द्वारा देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, के आदेश दिनांक 11–11–2004 को यथावत रखा । उक्त निर्णय दिनांक 10–02–2014 से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है।

9– प्रार्थी सूरजी वगै0 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते बहस किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि उनके समक्ष जो अपील पेश की गई थी वह ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 के विरूद्ध सन् 2001 में पेश की गयी थी जो 40 साल बाद यानि मियाद के बाहर थी और अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया जिसके आधार पर देरी को क्षमा किया जा सके। अप्रार्थीगण नामांतरकरण की सूचना सर्वप्रथम 16–01–2001 को पटवारी हल्का से होना बयान करते है जबकि इसके समर्थन में उनके द्वारा पटवारी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि राजस्व मण्डल ने कई महत्वपर्ण निर्णय में इस प्रकार का स्पष्ट मत व्यक्त किया है। अप्रार्थीगण ने अपने आपको छोटू मृतक की जाईन्दा पुत्रीयां होना कथन किया है जबकि इस कथन की पुष्टि में उनके द्वारा कोई दस्तावजी साक्ष्य राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये थे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता रामनाथ के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व गांव के मजमे आम में इसकी जांच की थी इसमें गांव के सभी पदाधिकारी गांववासी आये थे जिसमें नामांतरकरण बाबत कोई ऐतराज नहीं किया जबकि अब 40 वर्ष बाद अप्रार्थीगण अपने आपको छोटू की पुत्रियां कहकर आई हैं जो संदेहास्पद है, लकिन इस बिन्दु पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात की ओर गौर नहीं किया कि आराजी खसरा नंबर 123 रकबा 18 बिस्वा जिसे रामनाथ ने जरिये डिक्री प्राप्त की थी तथा खसरा नंबर 166 रकबा 17 बिस्वा भूमि जिसे रामनाथ ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी। इन दोनों खसरा नम्बरों का छोटू पुत्र चुन्ना से कोई संबंध नहीं था फिर भी न्यायालय ने इन खसरा नंबरों के बाबत् तस्दीक शुदा नामांतरकरण को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया है। अन्त में उनका कथन है कि संभागीय आयुक्त ने बिना किसी साक्ष्य एवं बिना किसी जांच के ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 162 को विधि शून्य मानते हुए एवं अप्रार्थीगण को मृतक छोटू पुत्र चुन्ना की पुत्रियां होना मानते हुए जो आदेश प्रदान किया है, वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि अप्रार्थीगण के द्वारा

मृतक छोटू की पुत्रियां होना साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी इसलिए जब तक वे मृतक की पुत्रियां होना साबित नहीं हो जाती तब तक न्यायालय उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं मान सकता। अतः संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर पारित किया जाने से सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–02–2014 व उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी का आदेश दिनांक 11–11–2004 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 24–6–1962 की पुष्टि की जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की यह बहस रही है कि अप्रार्थीगण गरीब ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला होने से उन्हें आराजी अपने नाम होने की जानकारी नहीं हो पाई। पटवारी हल्का के बताने पर उन्हें जानकारी हुई है। आराजियत जिस पर मृतक छोटू जीवनभर काश्त करता आ रहा था, अप्रार्थीगण उस मृतक छोटू की जायन्दा पुत्रियां हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण तस्दीक करते सयम इस बात की जांच नहीं की गई कि मृतक छोटू के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं अथवा नहीं ? इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत संभागीय आयुक्त, जयपुर ने प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा है, जो कि एक उचित आदेश है। अतः निगरानी निरस्त की जाकर संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय की पुष्टि फरमाई जावे। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने 2019 आर.बी.जे. पेज 69, 2013 आर.आर.टी. (ा) पेज 1284, 2017 आर.आर.टी. (ा) पेज 986 तथा 2016 आर.आर.टी. (ा) पेज 371 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

11– प्रकरण संख्या 2910/2015 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत विजयपुरा तहसील थानागाजी द्वारा नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 के विरूद्ध अपील प्रत्यर्थी मु0 धन्नी व मु0 नाथी द्वारा उपजिला कलक्टर, अलवर के न्यायालय में पेश की साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी ने अपने निर्णय दिनांक 11–11–04 द्वारा नामांतरकरण संख्या 162 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक छोटा पुत्र चुन्ना के वारिसान की विस्तृत जांच कर

नामांतरकरण का पुनः निस्तारण करें। उक्त निर्णय दिनांक 11–11–04 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–02–2014 द्वारा अपील खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने एक निगरानी याचिका संख्या 3980/2014 मण्डल में पेश की है, जो मण्डल में जैरकार है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 11–11–2004 की पालना में पत्रावली तहसीलदार थानागाजी को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार थानागाजी के विरूद्ध एक मुंतकिली प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष पेश किया जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 08–9–09 द्वारा प्रकरण तहसीलदार थानागाजी से तहसीलदार राजगढ़ को मुंतकिल करने के आदेश दिये। तहसीलदार राजगढ़ ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को नाटिस जारी किया। विधिवत आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् तहसीदार राजगढ़ ने विश्लेषण व विवेचन करते हुए ग्राम–पंचायत विजयपुरा द्वारा पारित नामांतरकरण 162 दिनांक 24–4–1962 को यथावत रखने का आदेश पारित किया तथा मूल पत्रावली तहसीलदार थानागाजी को भेजने का आदेश दिनांक 26–7–2010 पारित किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपील, संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष मु0 धन्नी वगै0 द्वारा पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–03–2015 द्वारा तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–2010 को खारिज कर दिया तथा नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 25–6–62 को मृतक छोटू के हिस्से की हद तक निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 18–03–2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

12– विद्वान अधिवक्ता सुरजी वगै0 ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया कि नामांतरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–01–2001 को अप्रार्थीगण को पटवारी हल्का से हुई परन्तु इस संबंध में उन्होंने पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा अपने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया जिसके कारण 40 वर्ष की देरी को क्षमा किया जाना विश्वसनीय नहीं था कि उन्हें नामांतरकरण की जानकारी नहीं हुई है। अप्रार्थीगण ने अपने आपको मृतक छोटू पुत्र चुन्ना की जाईन्दा पुत्रियां होना कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है किन्तु

उनके द्वारा इस कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र इयादि प्रस्तुत नहीं किये थे। इसलिए उनके इस कथन में कोई सार नहीं था, अतः विचारण न्यायलय उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में विधिक भूल की है। उनका यह भी कथन है कि खसरा नंबर 123 रकबा 18 बिस्वा भूमि की रामनाथ ने जरिये डिग्री प्राप्त की तथा खसरा नंबर 166 रकबा 17 बिस्वा भूमि जिसको रामनाथ ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी। इन दोनों खसरा नंबरो का छोटू पुत्र चुन्ना से कोई संबंध नहीं था फिर भी न्यायालय ने इन खसरा नंबरान के बाबत तस्दीक शुदा नामांतरकरण को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने में कानूनी भूल की है लेकिन इस कथन की ओर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने काई गौर नहीं किया है। संभागीय आयुक्त जयपुर ने बिना किसी साक्ष्य के एवं बिना किसी जांच के ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 को विधि शून्य मानते हुए एवं अप्रार्थीगण को मृतक छोटू पुत्र चुन्ना की पुत्रींया होना मानते हुए जो आदेश प्रदान किया है, वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि अप्रार्थीगण के द्वारा मृतक छोटू पुत्र चून्ना की पुत्रियां होना साबित करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी इस कारण जब वे मृतक की पुत्रियां होना साबित नहीं हो जाती तब तक न्यायालय द्वारा उन्हें प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। संभागीय आयुक्त ने इस बात की ओर गौर नहीं किया कि छोटा पुत्र चुन्ना के लाऔलाद फोत हो जाने पर उसके वारिसान काला व चन्द्र भाई हो गये थे जिसके काला लाऔलाद फोत होने से व चन्द्रा का लड़का सरदार गोद चला गया था एवं चन्द्र के तीन लड़के रामसहाय, रामनाथ व बोधा के हिस्से में विरासत आयी बाद में रामसहाय बिना औलाद फौत हो गया एवं बोधा चन्द्रा की जमीन का वारिस हो गया एवं छोटू के हिस्से पर रामनाथ वारिस हो गया। उक्त निर्णय में तत्कालीन ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से रामनाथ को छोटू का वारिस स्वीकार किया था इस कारण तहसीलदार ने पूर्ण साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् दिनांक 26–7–2010 को आदेश पारित किया था और आदेशानुसार उन्होंने ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–1962 नामांतरकरण संख्या 162 ग्राम बीसाबास को बहाल रखने का आदेश दिया जिसमें कोई अनियमितता नहीं थी किन्तु उन्होंने बिना किसी कानूनी आधार के असल रेस्पो0 को मृतक छोटू की पुत्रियां मानते हुए जो आदेश प्रदान किया है, वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि संभागीय आयुक्त ने

इस बात की ओर भी गौर नहीं किया कि ग्राम पंचायत भूडियावास को कानूनन विरासत का प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय 1998 आर.बी.जे. 487 में अपना कानूनी मत व्यक्त किया है कि वारिस संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने का एक मात्र अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है। अन्त में उनका कथन है कि अपील स्वीकार की जाकर संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 18–3–2015 जो अपील संख्या 749/2012 में पारित किया है, को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–2010 व नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 को बहाल रखा जावे।

13– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की बहस रही है कि वे मृतक छोटू की जाईन्दा पुत्रियां है तथा प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण उनका अपने पिता की भूमि में पूर्णतया अधिकार है। नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व तत्कालीन सरपंच द्वारा विधिक रूप से जांच नहीं की है। उन्हें नामांतरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16–01–2001 को पटवारी हल्का से हुई है। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए संभागीय आयुक्त, जयपुर ने आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार, थानागाजी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24–6–1962 को निरस्त कर मृतक छोटू के हिस्से की विवादित भूमि की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीगण यानि वर्तमान प्रत्यर्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया है, जो कि एक विधिसम्मत आदेश है जिसमें इस अपील के जरिये हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश की पुष्टि की जावे। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने 2019 आर. बी.जे. पेज 69, 2013 आर.आर.टी. (ा) पेज 1284, 2017 आर.आर.टी. (ा) पेज 986 तथा 2016 आर.आर.टी. (ा) पेज 371 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

14– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

15– सर्वप्रथम हमनें न्यायालय उप जिला कलक्टर, थानागाजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–11–2004 का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए यह पाया है कि नामांतरकरण संख्या

162 तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत ने छोटा के वारिसान की जांच विस्तृत रूप से एवं विधि अनुसार नहीं की है ना ही नामांतरकरण स्वीकार किया जाना स्पष्ट अंकित किया गया है, जो कि कानूनी भूल है। विरासत के नामांतरकरण के निर्णय में वारिसान की जांच करने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

16— हमनें भी नामांतरकरण संख्या 162 का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में जो मत अभिव्यक्त किये हैं, हम उनसे पूर्णतया सहमत हैं। ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की विरासत नियत करने का अधिकार नहीं होता है। अपीलांट धन्नी व नाथी अपने आपको छोटू की वारिसान बता रही हैं। चन्दर के हिस्से पर बोदू को काबिज होना ग्राम पंचायत ने माना है तथा छोटा के हिस्से पर रामनाथ को काबिज होना माना है जबकि बोदू, रामनाथ दोनो चन्द्र के पुत्र हैं तथा रामनाथ अकेले को ही छोटा का वारिस व काबिज हिस्से किस आधार पर माना गया है, यह स्पष्ट नहीं किया है।

17— संभागीय आयुक्त, जयपुर ने आक्षेपित निर्णय में यह स्पष्ट व्यक्त किया है कि नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24—6—62 विधिक प्रक्रिया अपनाकर तस्दीक नहीं किया गया है, केवल सर्वसम्मति से छोटू का वारिस रामनाथ को माना गया है जबकि किसी भी मृतक खातेदार की भूमि को उसके विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम नामांतरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 18—03—2015 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26—7—2010 को खारिज कर नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24—6—1962 मृतक छोटू के हिस्से की आराजी की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया कि मृतक छोटू के हिस्से की भूमि की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थिया के नाम से दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमदल दरामद किया जावे। संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित हो।

18— अतः अपीलार्थी सुरजो द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2910 / 2015 अस्वीकार कर खारिज की जाकर तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18—03—2015 की पुष्टि किये जाने योग्य है।

19— निगरानी संख्या 3980 / 2014 श्रीमती सुरजो द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10—02—2014 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी गयारसी द्वारा प्रस्तुत अपील इस आधार पर

अस्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी के आदेश दिनांक 11–11–2004 को इस आधार पर यथावत रखा है कि विवादित आराजी मृतक खातेदार छोटे की भूमि होने का तथ्य निर्विवाद है। विरासतन जायन्दा पुत्रियों के मौजूद होते हुए भाई के नाम नामांतरकरण दर्ज किये जाने का कोई विशिष्ट कारण अथवा दस्तावेज नामांतरकरण संख्या 162 में उल्लेखित नहीं है। इसलिए तहसीलदार को जांच हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। और रिमाण्ड आदेश की पालना मे ंपारित आदेश के विरुध अपील को उपरोक्त रुप से निर्णीत किया जा चुका है, अतः श्रीमती सूरजी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 4346 / 2003, अपील संख्या 2910 / 2015 में पारित निर्णय के दृष्टिगत सारहीन (infructuous) हो जाने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

20– जहां तक निगरानी संख्या 4346 / 2003 का प्रश्न है, उक्त निगरानी प्रार्थी श्रीमती धन्नी व अन्य द्वारा ग्यारसी (मृतक) सुरजो वगैरह के विरूद्ध पेश की गई है। नामांरतरकण संख्या 262 रामनाथ के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया था। उक्त नामांतरकरण संख्या 262 को तहसीलदार, थानागाजी द्वारा दिनांक 12–6–2001 को प्रमाणित किया था जिसके विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), अलवर के समक्ष अपील पेश की गई थी। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 23–11–2001 द्वारा अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 262 को निरस्त कर दिया जिसके खिलाफ श्रीमती ग्यारसी वगैरह द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील पेश की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–8–2003 द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार कर अतिरिक्त कलक्टर का आदेश खारिज किया कि नामांतरकरण संख्या 262 विरासत का है विरासत को एबेन्स में नहीं रखा जा सकता। अगर रेस्पो0 (श्रीमती धन्नी वगै0) वाद में सफल रहते हैं तो वाद के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

21– हमारे विनम्र में हम यह अपील संख्या में यह विनिश्चय किया गया कि सर्वप्रथम नामांतकररण संख्या 162 दिनांक 24.06.62 तस्दीक किया गया है, वह नामांतरकरण ही वारिसान की पूर्णतया जांच कर नहीं बनाया गया है। जहां तक पश्चातावर्ती नामांतरकरण संख्या 262 जो कि रामनाथ के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया है, का प्रश्न है तो जब पूर्व में इसी विवादित भूमि से संबंधित नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 24.06.62 को ही विधिक रूप से जांच कर नहीं बनाया गया तो पश्चातवर्ती नामांतरकरण तो

सर्वथा प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर, 23–11–2001 के द्वारा तहसीलदार, थानागाजी के आदेश दिनांक 12–6–2001 बाबत् नामांतरकरण संख्या 262 को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का जो निर्णय पारित किया है, वह बहाल किये जाने योग्य है जबकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने उक्त विधिक आदेश को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

22– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह तीनों प्रकरण इस प्रकार निर्णित किये जाते हैं :–

निगरानी संख्या 4346 / 2003 स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–8–2003 खारिज किया जाता है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2001 की पुष्टि की जाती है।

अपील संख्या 2910 / 2015 अस्वीकार कर खारिज की जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–03–2015 की पुष्टि की जाती है।

निगरानी संख्या 3980 / 2014, अपील संख्या 2910 / 2015 में पारित निर्णय के दृष्टिगत सारहीन (infructuous) हो जाने से अस्वीकार कर खारिज की जाती।

25– इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य